न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00130

अनिता उर्फ देवी पुत्री कैलाश चन्द पत्नी ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दाऊशंकर आत्मज कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी लेसरदा हाल निवासी चामुण्डा कॉलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. सूर्य प्रकाश आत्मज कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी लेसरदा हाल निवास चामुण्डा कॉलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. प्रेमबाई बेवा कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी लेसरदा हाल निवास चामुण्डा कॉलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. मोहर बाई पत्नी किशन बिहारी जाति माली निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खाता संख्या नया 238 की खसरा नम्बर

2522/1 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में अप्रार्थी कम 1 का 2/3 हिस्सा व प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी कम 03 का 1/6 हिस्सा निहित है । ग्राम लेसरदा में ही नया खाता संख्या 239 की खसरा नम्बर 2538 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 2600/1 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.48 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी कम 02 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी कम 03 का 1/6 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार ग्राम बंजारा की झौंपडियां तहसील के0 पाटन में खाता संख्या नया 54 की खसरा नम्बर 2522/2 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2600/2 रकबा 0.35 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.45 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी कम 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी कम 02 का 1/3 हिस्सा प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी कम 03 का 1/6 हिस्सा निहित है । खाता संख्या 237 की खसरा नम्बर 329 रकबा 2.28 हैक्टर वाके ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन में स्थित है । उक्त भूमि में अप्रार्थी कम 01 का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी कम 02 का 1/57 हिस्सा व प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी कम 04 का 18/57 हिस्सा निहित है । उक्त समस्त आराजियात में प्रार्थिया के कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादिनी कृषि कार्य करती चली आ रही है । प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमियों में अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाये । प्रार्थिया का खाता अलग कराने के बहाने अप्रार्थी कम संख्या 01 ने अपने नाम रिलीजडीड करवा ली इसकी जानकारी प्रार्थिया को नहीं दी गई । वादग्रस्त आराजी पर षडयंत्र पूर्वक करवायी गई रिलीज के आधार पर अप्रार्थी कम 01 उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थिया के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद चरण संख्या 2 से 5 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थिया के कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पैदा नहीं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कब्जा करावें । उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.04.2019 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.04.2019 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हकत्याग का कोई प्रावधान नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं

सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट ग्रामीण अशिक्षित गृहणी है । रेस्पोडेन्ट ने षडयंत्र रचकर बिना अपीलान्ट की जानकारी के दिनांक 15.01.2019 को स्वयं के नाम हक त्याग पंजीयन करवा लिया है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वच्छ मन से हक त्याग का पंजीयन नहीं करवाया है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के साथ विश्वासघात किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है। राजस्थान कातश्कारी अधिनियम में हक त्याग का कोई प्रावधान नहीं है । काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार इस दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता । अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये इस्तगासे का अनुसंधान जैरकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलएन 2013 (राज0) यूसी पेज 426 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पंजीकृत हक त्याग के माध्यम से अपने हिस्से का हक त्याग रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया है । पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को है । इंतकाल रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोला जा चुका है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1996 (II) (राज0) पेज 181, आरएलडब्ल्यू 2004 (राज0) पेज 108, डीएनजे (3) (राज0) पेज 1164, आरआरडी 1992 पेज 670 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील की पत्रावली पर रिलीज डीड दिनांक 15.01.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति भी पेश की गई है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 239 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम लेसरदा की कुल 02 किता की रकबा 1.48 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का 2/3 और अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 237 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम

लेसरदा की खसरा नम्बर 329 की रकबा 2.28 हैक्टर भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 54 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बंजारा की झौपडियां में कुल 02 किता की 0.45 हैक्टर भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 238 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम लेसरदा की खसरा नम्बर 2522/1 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एफ0आई0आर0 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई है ।

12. अपील में रिलीज डीड की 02 प्रतियॉ पेश की गई हैं । दोनों ही दिनांक 15.01.2019 की हैं जिसके अनुसार अपीलान्ट ने अपने हिस्से को दाऊशंकर रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में रिलीज किया है । अपीलान्ट का मुख्य रूप से कथन है कि ये दोनों रिलीज डीड धोखे से उनसे निष्पादित करवायी गई हैं । जहॉ तक पंजीकृत रिलीज डीड का प्रश्न है यदि रिलीज डीड धोखे से भी पंजीकृत करवायी गई हैं तो भी इनको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरएलडब्ल्यू 1996 (3) (राज0) पेज 181 एवं डीएनजे 2002 (3) पेज 1164 यहॉ चस्पा होती हैं । पंजीकृत रिलीज डीड को जब तक निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अपीलान्ट के पक्ष में पृथमदृष्टया प्रकरण तय नहीं पाया जाता है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 1992 पेज 670 भी यहॉ चस्पा होती है, जिसके अनुसार फौजदारी प्रकरण के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं कर सकता है । अपीलान्ट इस रिलीज डीड को सिविल न्यायालय के माध्यम से निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र है । पंजीकृत रिलीज डीड के परिप्रेक्ष्य में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा